महत्वपूर्ण

पत्र सं0-स्था-6-सामान्य कोविड-19/2021-22/ 353 /वाणिज्य कर

कार्यालय-कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक:: 11 मई, 2021

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।
2-अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान) वाणिज्य कर,
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय:- कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत दिव्यांगजन एवं गर्भवती महिलाओं को कार्यालय आने से मुक्त रखते हुए उन्हें Work From Home की सुविधा प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-03/2021/142/संघ/का-4-2021-303/2020 दिनांक 28.04.2021(छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) को रोकने के लिए राज्य सरकार के स्तर से पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2021/527/सामान्य-का-4-2021-303-2020 दिनांक 09.04.2021, संख्या-07/भा0स0/का-4-2021-303/2020, दिनांक 21.04.2021 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में कार्यरत् शारीरिक रुप से दिव्यांग कार्मिकों एवं गर्भवती महिलाओं को घर से कार्य सम्पादित करने हेतु अधिकृत किये जाने एवं इस अवधि में वह अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पर्क में रहने हेतु निर्देशित किया गया है कि आवश्यकता होने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त न्यायालय/कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-22-33/COVID-19/रा0आ0दि0ज0/2021 दिनांक 26.04.2021 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से अपर सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-F.No.11013/9/2014-Estt.A-III दिनांक 19.04.2021 की प्रति संलग्न करते हुए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कोरोना महामारी संक्रमण से साभावित रोगियों की संख्या में हो रही निरंतर बढ़ोत्तरी से बचाव के दृष्टिगत वर्तमान अवधि में दिव्यांगजन एवं गर्भवती महिलाओं को कार्यालय आने से मुक्त रखते हुए उन्हें Work From Home की सुविधा दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

अत: उक्त के क्रम में निर्देश दिए जाते है कि न्यायालय/कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 26.04.2021 एवं शासनादेश दिनांक 28.04.2021 में दिए गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।

10/05/2021
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-03/2021/142/संघ/का-4-2021-303/2020
लखनऊ:: दिनांक:: 28 अप्रैल,2021

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:-सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था।

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) को रोकने के लिए राज्य सरकार के स्तर से पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2021/527/सामान्य-का-4-2021-303-2020, दिनांक 09 अप्रैल, 2021, संख्या-07/भा0स0/का-4-2021-303/2020, दिनांक 21 अप्रैल,2021 के अनुक्रम में यह भी निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में कार्यरत शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों एवं गर्भवती महिलाओं को घर से कार्य सम्पादित करने हेतु अधिकृत किया जाय। वे इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पर्क में रहेंगे। आवश्यकता होने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकेगा, शेष व्यवस्था यथावत् पूर्ण रूप से लागू रहेंगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव

<u>संख्या-03(1)/2021/142/संघ/का-4-2021-303/2020तद्दिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
2- अपर प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव,विधान सभा एवं विधान परिषद, उ0प्र0।
3- समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
5- निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

अरूण कुमार दुबे
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-02/2021/07भा0स0/का-4-2021-303/2020
लखनऊ:: दिनांक:: 21 अप्रैल,2021

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:-सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण **(कोविड-19)** के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था।

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण **(कोविड-19)** को रोकने के लिए राज्य सरकार के स्तर से पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2021/527/सामान्य-का-4-2021-303-2020, दिनांक 09अप्रैल,2021 के अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय,विधान परिषद सचिवालय,विधान सभा सचिवालय तथा विभिन्न निदेशालयों में कार्यरत अनुसचिव स्तर एवं उसके कनिष्ठ अधिकारियों,कर्मचारियों में तैनात **50** प्रतिशत कार्मिक कार्यालयों में उपस्थित हों और शेष **50** प्रतिशत कार्मिकों को घर से काम करने का निर्देश दिया जाय। उप सचिव एवं इससे उच्च स्तर के अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

1- कार्यालय में आने वाले कार्मिकों की संख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कार्यालय **समय का आवंटन तीन पालियों में निम्नानुसार किया जाय-**

(क) 09:00 बजे प्रात: से 05:30 सायं

(ख) 09:30 बजे प्रात: से 06:00 सायं

(ग) 10:00 बजे प्रात: से 06:30 सायं

2- सभी विभागाध्यक्ष एवं नियंत्रक प्राधिकारी इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दिन कार्यालयों में अनुसचिव स्तर के अधिकारी एवं अन्य तैनात 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा शेष **50** प्रतिशत घर से ही कार्य निष्पादित करें। इसके लिए कार्मिकों का रोस्टर तय किया जायेगा। इस संबंध में यह परामर्श दिया जाता है कि वह अपने यहां कार्यरत उक्त कार्मिकों का साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार बना लें कि ऐसे कर्मी **अल्टरनेट (वैकल्पिक)** सप्ताह में कार्यालय में आयें। कार्यालय आने वाले कार्मिकों का चिन्हीकरण करते समय घर से दूरी एवं कार्यालय आने में उपयोग किये जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जायेगा।

Scanned with CamScanner

3- रोस्टर के अनुसार घर से कार्य सम्पादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पर्क में रहेंगे, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

4- यह दिशा निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं या **कोविड-19** के रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं।

5- सीढियां,लिफ्ट एवं पार्किंग एरिया में भीड़ न लगने दी जाय, कार्यालय में सेनीटाइजेशन, मास्क,दो गज दूरी एवं अन्य उपाय अपनाये जायं।

6- मीटिंग यथा सम्भव वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाय। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश कार्यालय में वर्जित किया जाय तथा 45 वर्ष से अधिक के कार्मिकों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या-02(1)/2021/07भा0स0/का-4-2021-303/2020तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अपर प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव, विधान सभा एवं विधान परिषद,उत्तर प्रदेश ।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।
(5) निदेशक,सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरूण कुमार दुबे,
विशेष सचिव।

http://upnewsindia.upgov.in
Scanned with CamScanner

न्यायालय / कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश
{ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के अधीन }

पत्रांक 22-33 /Covid-19 /रा.आ.दि.ज./2021

लखनऊ, दिनांक : 26/04/2021

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव
   उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
   उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी एवं अपर आयुक्त दिव्यांगजन,
   समस्त जनपद, उ0प्र0।

विषयः- कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत दिव्यांगजन एवं गर्भवती महिलाओं को कार्यालय आने से मुक्त रखते हुए उन्हें **Work From Home** की सुविधा प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपर सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या- F.No. 11013 / 9 / 2014 – Estt.A - III दिनांक 19-04-2021 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संक्रमण को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है तथा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कोरोना महामारी संक्रमण से संभावित रोगियों की संख्या में हो रही निरंतर बढ़ोत्तरी से बचाव के दृष्टिगत वर्तमान अवधि में दिव्यांगजन एवं गर्भवती महिलाओं को कार्यालय आने से मुक्त रखते हुए उन्हें **Work From Home** की सुविधा दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

ज्ञातव्य है कि कोविड 19 महामारी जनमानस के लिए ही नहीं, अपितु दिव्यांगजन हेतु एक भयावह महामारी है जिसकी रोकथाम किया जाना एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा- 8, 21, 23(1), 24, 44 व धारा - 45 में निहित प्रावधानानुसार दिव्यांगजन को इससे सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदत्त किया जाना अत्यावश्यक है।

अतः उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि कृपया कोविड-19 (कोरोना महामारी) के निरंतर बढ़ते हुए संक्रमण से दिव्यांगजन के बचाव एवं उसकी रोकथाम के दृष्टिगत समय-समय पर भारत सरकार एवं उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन कराए जाने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही उन्हें यह भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि वर्तमान कोविड-19 (कोरोना महामारी) की इस आपातकालीन परिस्थितियों में दिव्यांगजन को **Work From Home** की सुविधा प्रदान की जाए जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न होने पाए।

संलग्नकः- यथोक्त।

Sd/
(डा0 एस0के0 श्रीवास्तव)
राज्य आयुक्त

निकट राजकीय इण्टर कालेज, जे.बी.टी.सी. कम्पाउन्ड, विद्या भवन के अंदर, निशातगंज, लखनऊ –226007 दूरभाष – 0522–4026512,4335129
Email : info@commissionerdisabilitiesup.in - Web : http://www.statecommissionerdisabilitiesup.upsdc.gov.in

Scanned with CamScanner

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित //</u>

1. निजी सचिव, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, उ0प्र0 को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ एवं समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किए जाने के क्रम में अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही कराए जाने हेतु प्रेषित।
5. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी / सहायक आयुक्त, दिव्यांगजन, समस्त जनपद, उ0प्र0 को इन निर्देशों के साथ कि कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का अपने जनपद में कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करें।
7. डा0 ए0 के0 वर्मा, उपायुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
8. श्री शैलेन्द्र कुमार सोनकर, उपायुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
9. श्री वीरेश कुमार सिंह, विधि अधिकारी, दिव्यांगजन, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।

Sd/
(डा0 एस0के0 श्रीवास्तव)
राज्य आयुक्त

Scanned with CamScanner

F.No.11013/9/2014-Estt.A-III
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training
******

North Block, New Delhi
Dated the 13th April, 2021

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Preventive measures to contain the spread of Novel Coronavirus (COVID-19) - Attendance of Central Government officials-regarding

In view of the unprecedented rise in the numbers of Covid-19 cases, and to take measures to prevent its spread, the following instructions / guidelines are issued for strict compliance by all Ministries/Departments/Offices of the Central Government : -

a. Physical attendance of the officers of the level of Under Secretary or equivalent and below to be restricted to 50% of the actual strength. Secretary/HOD may regulate the attendance of officials and may, on administrative grounds, direct more officials to attend office. A roster may be prepared accordingly.

b. All officers of the level of Deputy Secretary, equivalent and above are to attend office on regular basis.

c. The officers / staff shall follow staggered timings, to avoid over-crowding in offices, as indicated below:
   - 9.00 A.M. to 5.30. P.M.
   - 9.30 AM to 6.00 PM
   - 10.00 A.M. to 6.30 P.M.

d. All officials who do not attend office on a particular day are to make themselves available on Telephone and other electronic means of communication at all times from their residence and work from home.

e. All officials residing in containment zones shall continue to be exempted from coming to office till the containment zone is de-notified.

f. Persons with Disabilities and Pregnant women employees may be exempted from attending office, but they shall continue to work from home, until further orders.

g. All officials who attend office shall strictly follow Covid-appropriate behavior including wearing of mask, physical distancing, use of sanitizer and frequent hand washing with soap and water.

h. Crowding in lifts, staircases, corridors, common areas including refreshment

Scanned with CamScanner

kiosk and parking areas is to be strictly avoided.

i. Meetings, as far as possible, to be conducted through video-conferencing.

j. Entry of outsiders /visitors to be curtailed appropriately.

k. In compliance of OM of even number dated 6.4.2021, all employees of the age of 45 years and above are advised to get themselves vaccinated.

l. Proper cleaning and frequent sanitization of workplace, particularly of the frequently touched surfaces may be ensured.

2. All Ministries/ Departments / Offices as well as the Central Government employees are to ensure strict compliance of instructions on Covid-appropriate behavior issued by MHA, MoH&FW and DoP&T from time to time. Biometric attendance shall continue to be suspended and physical attendance registers to be maintained until further orders.

3. The above instructions / guidelines shall come into effect immediately and will remain in force until 30.04.2021 or further orders, whichever is earlier.

19.4.2021

(Sujata Chaturvedi)
Additional Secretary to Govt. of India
Tel 2309 4276

To

1. All the Ministries/Departments, Government of India
2. PMO / Cabinet Secretariat.
3. Director (Canteen), DoPT
4. PS to Hon'ble MoS(PP).
5. PSO to Secretary (Personnel).
6. Sr. Tech. Director, NIC, DoP&T – for uploading on website.